राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 2212/2013/उदयपुर
मैसर्स प्रेम ज्योति क्रेशिंग प्लांट
कलडवास, उदयपुर अपीलार्थी

बनाम

1.उपायुक्त(प्रशासन)
वाणिज्यिक कर विभाग, उदयपुर
2.सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी
घट पंचम, वृत डी,उदयपुर प्रत्यर्थीगण

एकलपीठ
श्री सुनील शर्मा, सदस्य

उपस्थित
श्री अभिषेक अजमेरा
अभिभाषक अपीलार्थी की ओर से
श्री अनिल पोखरणा
उप राजकीय अभिभाषक प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक: 7.4.2015

निर्णय

यह अपील अपीलार्थी व्यवहारीं ने उपायुक्त(प्रशासन), वाणिज्यिक कर,उदयपुर (जिसे आगे अपीलीय अधिकारी कहा जायेगा) के द्वारा प्रकरण संख्या 34/13–14/कर/उपा(प्र)उदय/ में राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 34 के अन्तर्गत पारित पृथक आदेश दिनांक 04.10.2013 के विरूद्ध पेश की गयी है।

प्रकरणों के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी व्यवहारी ने आलोच्य अवधि 2006–07 के सम्पूर्ण बिक्री प्रपत्र पेश नहीं किये गये और ना ही एवं वर्ष 2007–08 का ट्रेडिंग प्रस्तुत किया। अपीलार्थी व्यवहारी सुनवाई हेतु उपस्थित नहीं हुआ और ना ही स्थगन हेतु कोई प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ है। उक्त स्थिति को मध्यनजर रखते हुए सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट–पंचम, वृत–डी,उदयपुर (जिसे आगे कर निर्धारण अधिकारी कहा जायेगा) ने अपीलार्थी व्यवहारी को नोटिस जारी किया। नोटिस की पालना में अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ और ना ही कोई दस्तावेज प्रस्तुत किये गये। अतः कर निर्धारण अधिकारी ने आलोच्य अवधि का कर निर्धारण आदेश दिनांक 17.02.2009 को पारत करते हुए मांग रू. 14,357/-56,000/–की सृजित की । कर निर्धारण अधिकारी के आदेश दिनांक 17.2.2009 के विरूद्ध अपीलार्थी व्यवहारी ने अधिनियम की धारा 34 के अन्तर्गत अपीलीय अधिकारी के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत कर नये सिरे से गुणावगुण पर कर निर्धारण आदेश पारित करने हेतु प्रकरण को पुनः खोलने का निवेदन किया। अपीलीय अधिकारी ने प्रकरण के गुणावगुण पर विचार करने के पश्चात अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र को अस्वीकार कर दिया। अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 04.10.2013 के विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी ने अपीलार्थी व्यवहारी को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही एकतरफा कर निर्धारण आदेश दिनांक 17.02.2009 को पारित कर रू. 56,000/–की मांग सृजित की है, जो अविधिक है। उनका कथन है कि अपीलीय अधिकारी ने कर निर्धारण अधिकारी की टिप्पणी के आधार पर अपीलार्थी व्यवहारीं के द्वारा अधिनियम की धारा 34 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को अस्वीकार किया है,जो तथ्यों एवं रिकार्ड के अनुसार उचित नहीं है। उनका कथन है कि कर निर्धारण अधिकारी ने बिना नोटिस तामील कराये ही कर निर्धारण आदेश पारित किये हैं। उन्होंने उक्त कथन के आधार पर अपील स्वीकार कर प्रकरण प्रतिप्रेषित किये जाने का निवेदन किया।

प्रत्यर्थी राजस्व की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने अभिवाक् किया कि अपीलार्थी व्यवहारी ने आलोच्य अवधि 2006–07 के सम्पूर्ण बिक्री प्रपत्र पेश नहीं किये गये और ना ही एवं वर्ष 2007–08 का ट्रेडिंग प्रस्तुत किया। उनका कथन हे कि कर निर्धारण अधिकारी ने अपीलार्थी व्यवहारीयों के वर्ष 2007–08 के कर निर्धारण पारित करने हेतु कई नोटिस जारी किये हैं, किन्तु नोटिस तामीली के बावजूद अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से ना तो स्थगन हेतु प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ और ना ही कोई उपस्थित हुआ,ऐसी स्थिति में कर निर्धारण अधिकारी ने एकतरफा कर निर्धारण आदेश पारित करते हुए मांग सृजित की है, जो उचित है। उनका कथन है कि अपीलार्थी व्यवहारी का यह कथन कि उन्हें कर निर्धारण आदेश पारित करने से पूर्व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया है, रिकार्ड पर उपलब्ध तथ्यों के प्रतिकूल है। उन्होंने उक्त कथन के आधार पर प्रस्तुत अपील अस्वीकार करने का निवेदन किया।

दोनों पक्षों की बहस सुनी गयी, उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया तथा अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित निर्णय पर मनन किया गया। रिकार्ड के अवलोकन से ज्ञात होता है कि कर निर्धारण अधिकारी ने अपीलार्थी व्यवहारी के वर्ष 2007–08 का कर निर्धारण आदेश एकतरफा पारित किया हैं। परन्तु उक्त नोटिस तामील हुए अथवा नहीं, इसकी पुष्टि रिकार्ड से नहीं होती है। विद्वान अभिभाषक का कथन है कि उसे नोटिस तामील नहीं हुआ है,जिसके सम्बन्ध में अपीलीय स्तर पर अपने शपथ पत्र भी प्रस्तुत किये गये हैं। जबकि अपीलीय अधिकारी ने यह अपने आदेशों में यह लिखते हुए कि प्रतिनिधि द्वारा कोई ठोस आधार प्रस्तुत नहीं किये गये हैं, इसलिए उन्होंने अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अधिनियम की धारा 34 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को खारिज किया हैं।

अपीलीय अधिकारी द्वारा उनके समक्ष अधिनियम की धारा 34 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्रों को खारिज करने का आधार यह लिया गया है कि ''उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा कोई ठोस आधार प्रस्तुत नहीं किया गया। पत्रावली पर व्यवसायी को डाक से अन्तिम ज्ञात पते पर नोटिस भेजा जाना पत्रावली पर स्पष्ट है।'' अपीलाधीन आदेश से स्पष्ट है कि नोटिस डाक द्वारा भेजा गया है परन्तु उसकी तामीली के सम्बन्ध में कोई निष्कर्ष अथवा उल्लेख नहीं किया गया है,जिससे इस निष्कर्ष पर पहुँचना सम्भव नहीं है कि अपीलार्थी व्यवहारियों को नोटिस तामील हुए अथवा नहीं । अतः प्रकरण के तथ्यों पर गुणावगुण पर विचार करने के पश्चात न्याय हित में अपीलार्थी व्यवहारी की अपील स्वीकार करते हुए प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये जाते हैं कि अपीलार्थी व्यवहारी को सुनवाई का समुअिचत अवसर प्रदान कर, उसे सुनने के पश्चात दो माह में पुनः आलोच्य अवधि के कर निर्धारण आदेश पारित करें। अपीलार्थी व्यवहारी को भी निर्देश दिये जाते हैं कि वह इस निर्णय की तामीली के पश्चात साठ दिवस के भीतर स्वतः कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर आलोच्य अवधि का कर निर्धारण आदेश पारित करने में सहयोग प्रदान करें।

फलस्वरूप अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 04.10.2013 को अपास्त कर प्रस्तुत अपील स्वीकार कर उपरोक्त निर्देशों के साथ प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया जाता हैं।

निर्णय सुनाया गया।

(सुनील शर्मा)
सदस्य